# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जि-जयपुर

रामजीवण बनाम ~~नवीर~~ गोपाल

मुकदमा संख्या / वर्ष : 68/2022

| क्र0स0 | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 30/05/22 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा॰ पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुने एक माह से अधिक समय हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र पर पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर अन्तरिम व्यादेश दिनांक 23/06/2022 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर दर्ज नम्बर से कम हो।<br>सहायक कलक्टर<br>बस्सी जिला-जयपुर | |

# न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारीः- शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र :- 68/2022
जीसीएमएस नम्बर :-2022/00143

रामजीवण पुत्र श्री कल्याण, जाति जाट निवासी ग्राम गोठडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान।

-----**प्रार्थी**

**-: बनाम :-**

1. गोपाल लाल पुत्र रामनिवास
2. सीताराम पुत्र रामनिवास
3. गिरधारी पुत्र रामनिवास
4. राजाराम पुत्र रामनिवास

   समस्त जातियान जाट, निवासीगण ग्राम गोठडा तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान ।

5. तहसीलदार, बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

-----अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित–

1. श्री कुलदीप शर्मा अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजेश शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

## निर्णय

दिनांक 30.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.05.2022 को एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया कि–

प्रार्थी/वादी ने एक वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चे, सुदृढ व ठोस आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र के शीर्षक में वर्णित पते पर निवास करता है एवं काश्त कर अपना जीवनयापन करता है। प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नया 96 पुराना 102 में खसरा नम्बर 87 रकबा 0.1400 हैक्टेयर ग्राम गोठड़ा,

30/5/25

पटवार हल्का हंसमहल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिस पर प्रार्थी द्वारा तारबंदी कर कृषि कार्य किया जाता है तथा अपने पशु बांधे आते है।

अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है तथा उन्होंने एक अवैध गिरोह का निर्माण कर रखा है तथा वे आये दिन प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि में दखलअंदाजी करते रहते है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 से प्रार्थी को बेदखल कर उस पर कब्जा करना चाहते है। जबकि अप्रार्थीगण को प्राथी के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 में दखलअंदाजी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

दिनांक 22.04.2022 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी के स्वामित्व की उपरोक्त कृषि भूमि पर आये तथा प्रार्थी की तारबंदी को उखाड़ कर प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जिसका विरोध प्रार्थी द्वारा किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये तथा प्रार्थी के साथ धक्का. मुक्की कर कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जिसके संबंध में उक्त दिनांक को ही प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना बस्सी में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

दिनांक 24.04.2022 को समय लगभग 12:30 ए.एम पर अप्रार्थीगण अपने साथ 35-40 व्यक्तियों को लेकर लाठी, डण्डा तथा सरियों से लेस होकर प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने के आशय से आये तथा आते ही प्रार्थी की तारबंदी को उखाड कर फेंकने लगे, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण व उनके साथ आये व्यक्तियों द्वारा कारित कृत्य का विरोध किया तो प्रार्थी को जान से मारने के आशय से प्रार्थी के गले पर धारदार हथियार से वार किया तो प्रार्थी ने बचाव में अपना हाथ आगे कर दिया जिससे प्रार्थी के हाथ पर गंभीर चोटे कारित हुई तथा प्राथी द्वारा शोर करने पर आस-पास के ग्रामीण मौके पर आये तो अपार्थीगण व उनके साथ कब्जा करने के आशय से आये हुए बदमाश मौके से भाग गये जिस पर प्रार्थी द्वारा 100 नम्बर पर फोन कर पुलिस को बुलाया गया तथा पुलिस द्वारा उक्त समय ही घटना स्थल पर मौका मुआयना किया गया। तत्पश्चात लगभग 01 घण्टे के पश्चात् पुनः अप्रार्थीगण व उनके परिवार की औरते तथा बच्चे प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने की नियत से आये तथा प्रार्थी की तारबंदी को उखाड़ कर प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जिसका विरोध प्रार्थी के पुत्र द्वारा किया गया तो उन्होनें प्रार्थी के पुत्र के साथ भी मारपीट की, जिसके संबंध में भी प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना बस्सी में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी।

अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है तथा उनके द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर कब्जा करने की पूरजोर कोशिश की जा रही है व कब्जा करने की नियत से उनके द्वारा गुण्डे बुलवाकर प्रार्थी को मारने की कोशिश भी की जा चुकी है तथा उन्होंने एक अवैध गिरोह का निर्माण कर रखा है तथा वे कभी भी मौका पाकर प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की मद संख्या-03 में किया गया है, पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर सकते है। जिसका कि उन्हें कोई

30/5/25

अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थी अधिकारी है कि अप्रार्थीगण संख्या-01 लगायत 04 को ताफैसला दावा माननीय न्यायालय से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमा देवे कि अपार्थीगण संख्या 01 से 04 ताफैसला दावा प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि के किसी भी भूभाग पर ना तो कब्जा करे ना किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे, ना प्राथी को बेदखल करे तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना करे तथा ना ही प्राथी की तारबंदी को उखाडे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेण्ट, सर्वेण्ट इत्यादि के माध्यम से करावें।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या-03 में वर्णित कृषि भूमि वादी के स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि है, जिस पर कृषि काश्त कर प्रार्थी अपना जीवनयापन करता है तथा अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकारिता के प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर कब्जा करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि से वंचित हो जावेगा तथा अप्रार्थीगण अपने कुत्सित उद्देश्यों में सफल हो जावेगे जिससे प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति कारित होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी। जिस कारण से अप्रार्थी संख्या-01 ता 04 को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला बखूबी साबित है तथा प्रार्थी कृषि भूमि का स्वामी एवं मालिक है, जिस कारण से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या-01 ता 04 को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे दौराने दावा प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खरारा नम्बर 87 रकबा 0.1400 हैक्टेयर के किसी भी भूभाग पर ना तो कब्जा करे ना किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे ना प्रार्थी को बेदखल करे ना ही प्रार्थी की कृषि भूमि पर मौजूद तारबंदी को उखाडे, तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेण्ट, सर्वेण्ट इत्यादि के माध्यम से करावें।

न्यायालय द्वारा दिनांक 23.06.2022 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की अन्तरिम अनुतोष पर एकपक्षीय बहस सुनकर आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये तथा डिस्पेच नम्बर 3457-61 दिनांक 24.06.2022 द्वारा नोटिस जारी किये गये। दिनांक 12.07.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री राजेश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो मूल वाद में शामिल किया गया।

30/5/25

दिनांक 20.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रारम्भिक आपत्ति उठाई गई कि प्रार्थी के हकपर्वाधिकारी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के हकपूर्वाधिकारी एवं राधेश्याम, बिरदा, तुलसाराम पुत्रान केसरा के मध्य अपनी शामिलाती एवं सहखातेदारी की वाके ग्राम गोठडा तहसील बस्सी जिला जयपुर स्थित कृषि भूमियों खसरा नम्बर 9, 10, 10क, 10ख, 10ग, 10घ. 10इ 10च, 10छ, 10ज, 10झ, 10ञ, 10ट, 10ठ, 10ड, 10ढ, 10ण, 10त, 10थ, 10द, 10ध, 10न, 10प, 10फ, 10ब, 10भ, 10म, 115, 115क, 115ख, 115ग, 115घ, 115इ, 115च, 115छ, 115ज कुल किता 36 कुल रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा का दिनांक 08.06.1992 को आपसी सहमति से विभाजन होने के उपरान्त अप्रार्थीगण के हिस्से में खसरा नम्बर 10क, 10ख, 10ग, 10च, 10छ, 10ज, 10थ, 10द, 10ध, 115मि0, 115क मि0, 115ख मि0, 115च मि0, 115छ मि0, 115ज मि0 कुल रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा आये एंव राधेश्याम, बिरदा, तुलसाराम पुत्रान् केसरा के हिस्से में खसरा नम्बर 9, 10 मि0, 10ग मि0, 10घ मि0, 10ड मि0, 10च मि0, 10ढ, 10ण, 10त, 10प, 10फ, 10म, 10ड, 115मि0, 115ख, 115ग, 115घ, 115इ, 115क मि0, 115च मि0 कुल रकबा 22 बीघा 8 बिस्वा आये तथा प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 10मि0, 10झ, 10ज, 10ट, 10ठ, 10ध, 115क मि0, 115ख मि0, 115घ, 115ज मि0 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा आये एंव खसरा नम्बर 10घ मि0,10च मि0, 10ध, 10भ, 10म, 115क, 115ख मि0 कुल रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि सामलाति रही।

दौराने सेटलमेण्ट उक्त खसरा नम्बरान के नये खसरा नम्बरान् 60. 61, 62, 63, 64, 79, 80, 85, 86, 409, 411, 415, 421, 422, 423, 425, 72. 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 88, 410, 416, 417, 418, 419, 424, 66. 67, 68, 69, 70, 71, 87, 412, 413, 414, 419/1091, 420, 426, 427, 90 पटवारी हल्ला द्वारा राजस्व नक्शे में जो तरमीम की गई वह आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शे के मुताबिक नहीं की गई एवं बल्कि पटवारी हल्का ने राजस्व नक्शे में तरमीम करते समय विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शे के आधार पर तरमीम न कर अप्रार्थीगण के स्वामित्य की भूमि खसरा नम्बर 86 की खसरा नम्बर 87 के स्थान पर कर दी एवं इसी प्रकार प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 87 की खसरा नम्बर 85 के स्थान पर कर दी थी जो कि अब दुरूस्त हो चुकी है।

प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से हुई गलती का फायदा उठाकर प्रस्तुत कर दिया जो कि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत न कर वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये प्रस्तुत किया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

मदवार जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए इस आशय का कथन किया कि प्रार्थी/वादी की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष सच्चे सुदृढ व ठोस

30/5/25

आधारों पर पेश किया जाना स्वीकार नहीं है एवं उसमे सफलता की कतई कोई आशा नहीं है।

प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 96 खसरा नम्बर 87 रकबा 0.1400 हैक्टेयर ग्राम गोठडा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है लेकिन दावा दायरी के दिन खसरा नम्बर 87 की तरमीम राजस्व नक्शे में मिन अप्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 85 के स्थान पर हो रखी थी जो कि अब दुरूस्त हो चुकी है। प्रार्थी एवं मिन अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में हुये विभाजन एवं राजस्व नक्शे अनुसार उक्त भूमि राजस्व नक्शे में प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारियों की सहमति से मिन अप्रार्थीगण के हिस्से में आई थी जो कि न्यायालय के आदेश से अब दुरूस्त हो चुकी है दावा दायरी के दिन के मुताबिक राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 87 जहां अंकित था उसके संबंध में यह कथन गलत है कि जिस पर प्रार्थी द्वारा तारबंदी कर कृषि कार्य किया जाता है तथा यह कथन भी गलत है कि अपने पशु आदि बांध आते है।

यह कथन गलत है कि अप्रार्थीगण ने एक अवैध गिरोह का निर्माण कर रखा है एवं सर्वप्रथम तो दावा दायरी के दिन की राजस्व नक्शे की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 87 के स्थान वाली जमीन से अब प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार ही नहीं है क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वर्तमान में राजस्व नक्शा दुरुस्त हो चुका है एवं हाल राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 87 जहां अंकित है उससे मिन अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है एवं मिन अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 85 राजस्व नक्शे में जहां अंकित है उससे प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रार्थी ने बदनीयति पूर्वक राजस्व नक्शे में सहवन से हुई गलत तरमीम का फायदा उठाकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो राजस्व नक्शा एवं तरमीम अब माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दुरुस्त हो चुका है एवं राजस्व नक्शे में हुई गलत तरमीम का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की स्वामित्व एवं कब्जेशुदा जमीन पर कब्जा करना चाहता है एवं इसी उद्देश्य से प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी ने दिनांक 22.04.2022 का वाक्या गलत अंकित किया है बल्कि प्रार्थी ने मिन अप्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया था एवं मिन अप्रार्थीगण ने उसका विरोध किया था।

यह कथन गलत है कि दिनांक 24.04.2022 को समय लगभग 12.30 ए.एम. पर अप्रार्थीगण अपने 35-40 व्यक्तियों को लेकर अपने साथ लेकर लाठी, डण्डा तथा सरियों से लेस होकर प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि पर कब्जा करने के आशय से आये बल्कि वास्तविक तथ्य यह है कि मिन अप्रार्थीगण ने राजस्व नक्शे में हुई गलत तरमीम को दुरुस्त करने हेतु कानूनी कार्यवाही कर दी तो प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा करने के उददेश्य से अपने साथ गुण्डों को लेकर आया था एवं जिसके लिये प्रार्थी एवं उसके परिवारजनों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई है एवं प्रार्थी के परिवारजन न्यायिक अभिरक्षा में रहे है।

30/5/25

उक्त खसरा नम्बर के मूल खसरा नम्बर का पक्षकारान के मध्य विभाजन हुआ उस समय राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 87 वाली जगह मिन अप्रार्थीगण के हिस्से में आई एवं खसरा नम्बर 85 वाली जगह प्रार्थी के हिस्से में आई एवं आपसी सहमति से हुये विभाजन में भी यही स्थिति है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने हाल राजस्व नक्शा एवं राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय खसरा नम्बर 85 के स्थान पर खसरा नम्बर 87 एवं खसरा नम्बर 87 के स्थान पर खसरा नम्बर 85 अंकित कर दिया जिसकी जानकारी मिन अप्रार्थीगण को होते ही उन्होंने सक्षम न्यायालय में राजस्व नक्शे में हुई गलत तरमीम दुरूस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया जो कि माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर राजस्व नक्शे में हुई गलत तरमीम को दुरूस्त कर दिया गया है लेकिन प्रार्थी ने दुरुस्ती की कार्यवाही के तथ्यों को छिपाते हुये झूठे तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया एवं प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के जरिये मिन अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी दावा दायरी के समय के राजस्व नक्शे के अनुसार मिन अप्रार्थीगण को उनके स्वामित्व की भूमि के संबंध में उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि दावा दायरी के समय का राजस्व नक्शा एवं उसमे हो रखी गलत तरमीम माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दुरूस्त हो चुकी है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र राजस्व नक्शे में हुये गलत इन्द्राज के तथ्य एवं सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दुरुस्ती की कार्यवाही के तथ्यों को छिपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था एवं जो व्यक्ति माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नही आया है ऐसे व्यक्ति को अपूर्णीय क्षति कारित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता क्योंकि उक्त भूमि से प्रार्थी का जब कोई संबंध व सरोकार ही नहीं है तो उसके लिये वह मिन अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है।

यह कथन गलत है कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है यह कथन मी गलत है कि प्रार्थी कृषि भूमि का स्वामी एवं मालिक है एवं यह कथन भी गलत है कि सुविध का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को एवं पूर्व में आपसी सहमति से हुये विभाजन एवं दावा दायरी के समय माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दुरूस्ती की कार्यवाही के तथ्यों को छिपाते हुये बदनीयित पूर्वक यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वह किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने न्यायशुल्क अपनी रिस्क पर अदा किया है

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बदनीयतिपूर्वक एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये एवं दुरूस्ती की कार्यवाही के तथ्य को छिपाते हुये प्रस्तुत होने के कारण उसे मारी हर्जे खर्चे के सहित खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 07.10.2022 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 8 नियम 9 सी0पी0सी0 के साथ जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी

30/5/25

निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सी0पी0सी0 पर उभय पक्षकारान् की बहस सुनकर आदेश दिनांक 07.10.2022 पारित कर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा जवाब उल जवाब को अभिलेख पर लिया गया।

प्रार्थी ने अपने जवाब उल जवाब में इस आशय का कथन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र के प्रारम्भिक आपत्ति की मद संख्या-1 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार तहरीर किये गये हैं, पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है । इस मद में वर्णित कषि भूमि का आपसी सहमति से दिनांक 08.06.1992 को कोई विभाजन नहीं हुआ, ना ही मिन प्रार्थी के पिता द्वारा कोई सहमति दी गयी, वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी संख्या-1 ता 4 के पिता ने अन्य खातेदारान से आपस में साज कर प्रार्थी के पिता के अनपढ होने एवं उनकी मानसिक स्थिति खराब होने का फायदा उठाते हुए खाली कागजों पर अंगूठा निशानी लगवा कर उस पर प्रार्थना पत्र व विभाजन पत्र तैयार कर लिया तथा उसके आधार पर तहसीलदार महोदय से विभाजन आदेश दिनांक 08.06.1992 पारित करवा लिया, जबकि प्रार्थी पिता द्वारा कभी भी बंटवारे हेतु कोई स्वतन्त्र सहमति नहीं दी गयी है, ना ही कथित सहमति के आधार पर कभी मौके पर कोई बंटवारा हुआ, बल्कि आज भी कथित सहमति दिनांक 08.06.1992 से पूर्व की स्थिति के अनुसार ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या-1 ता 4 मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, यदि वास्तव में बंटवारा हुआ होता तो अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या-1 ता 4 उक्त बंटवारे के अनुसार मौके पर काबिज होते, जबकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या-1 ता 4 दिनाक 08.06.1992 से पूर्व की स्थिति के अनुसार ही मौके पर काबिज है तथा इस पैरा में पूर्व खसरा नम्बरों के नये खसरा नम्बर बनना विवादित नहीं है, परन्तु उक्त नये खसरा नम्बर तथाकथित फर्जी सहमति पत्र व विभाजन पत्र के आधार पर बनवाये गये हैं, जो अस्वीकार है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर प्रथम के समक्ष एक अपील प्रस्तुत कर रखी है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा तथाकथित बंटवारानामा दिनांक 08.06.1992 की क्रियान्विति को स्थगित करने का स्थगन आदेश भी पारित किया हुआ है।

जवाब प्रार्थना पत्र के प्रारम्भिक आपत्ति की मद संख्या-2 में वर्णित नये खसरा नम्बरान की तरमीम पक्षकारान के मौके पर कब्जे व रिकार्ड के अनुसार की गयी है तथा जहां तक दुरुस्तीकरण का प्रश्न है तो उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो वर्तमान में विचाराधीन है । जहां तक तथाकथित बंटवारेनामें का प्रश्न है तो जब अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त बंटवारेनामें की क्रियान्विति को ही स्थगित फरमा रखा है तो न्यायालय द्वारा किये गये दुरुस्ती के आदेश का कोई कानूनी प्रभाव नहीं रह जाता है तथा प्रार्थी अरसे दराज से ही खसरा नम्बर 87 पर काबिज काश्त है, जिस पर प्रार्थी द्वारा तार बाउण्ड्री कर खेती की जा रही है व सीमाजान में भी उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थी का ही कब्जा माना गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का यह कहना पूर्णतया गलत है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से तरमीम की हो, बल्कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर जांच करने

30/5/25

के उपरान्त तथा पक्षकारों के कब्जे के आधार पर ही तरमीम की गयी है व प्रार्थी द्वारा सही व सत्य तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो डिकी किये जाने योग्य है ।

मदवार जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा यह गलत वर्णित किया है कि खसरा नम्बर 87 की तरमीम राजस्व नक्शे में अप्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 85 के स्थान पर हो तथा यह भी गलत वर्णित किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में भी विभाजन एंव राजस्व नक्शे के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के हक पूर्वाधिकारियो की सहमति से अप्रार्थीगण के हिस्से में आई हो, जबकि सही तथ्य यह है कि प्रार्थी के पिता की मानसिक स्थिति खराब होने का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता द्वारा अन्य खातेदारो के साथ साज कर उनके खाली कागजो पर लगवाये गये अंगुठा निशानी का दुरूपयोग कर तथाकथित विभाजन पत्र तैयार किया गया है। जिस पर आज तक एक्ट अपोन नहीं हुआ है, बल्कि सभी खातेदार दिनांक 08.06.1992 से पूर्व की स्थिति के अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे है व उक्त तथाकथित बंटवारानामा दिनांक 08.06.1992 की क्रियान्विति अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगित फरमायी जा चुकी है। जहां तक न्यायालय के आदेश से दुरूस्ती का प्रश्न है, उक्त आदेश न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा रिकार्ड का सही प्रकार से अवलोकन किये बिना पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है तथा रिकार्ड दुरूस्ती का आदेश अन्तिम नहीं है व प्रार्थी पूर्व की भांति खसरा नम्बर 87 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

अप्रार्थीगण द्वारा यह गलत वर्णित किया गया है कि दावा दायरी के दिन की राजस्व नक्शे की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 87 के स्थान वाली जमीन से प्रार्थी का कोई संबंध या सरोकार नहीं हो, बल्कि प्रार्थी खसरा नम्बर 87 पर पूर्व की भांति काबिज काश्त चला आ रहा है। जहां तक न्यायालय द्वारा दुरूस्ती का आदेश किये जाने का संबंध है तो अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल तथाकथित बंटवारेनामे के आदेश की क्रियान्विति को ही स्थगित किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा दुरूस्ती के सम्बन्ध में किये गये आदेश कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखता है तथा उक्त आदेश को भी प्रार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है तथा अप्रार्थीगण भी अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो चुके हैं। अप्राथीगण द्वारा यह भी गलत वर्णित किया है कि राजस्व नक्शे में हुई गलत तरमीम का फायदा उठा कर प्रार्थी अप्रार्थीगण के स्वामित्व व कब्जेशदा जमीन पर कब्जा करना चाहता हो तथा यह भी गलत वर्णित किया है कि प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हो, राजस्व नक्शे की तरमीम पक्षकारों के मौके पर कब्जे के अनुसार की गयी है, तथा उक्त तरमीम के अनुसार ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौके पर काबिज हैं, परन्तु अप्रार्थीगण प्रार्थी के स्वामित्व की खसरा नम्बर 87 की भूमि हडप करना चाहते हैं तथा उक्त उद्देश्य से ही उनके द्वारा सम्पूर्ण जवाब में गलत एवं झूठे तथ्यों का समावेश किया गया है।

अप्रार्थीगण द्वारा यह गलत वर्णित किया है कि वे प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर 30-40 लोगों को लेकर लाठी डण्डा तथा सरियों से लेस होकर कब्जा करने नहीं

30/5/25

गये हो, बल्कि अप्रार्थीगण अपने साथ 30-40 लोगों को लेकर प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने हेतु मौके पर आये थे तथा उनके द्वारा प्रार्थी के साथ मारपीट की गयी, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 209/2022 पुलिस थाना बस्सी में दर्ज करवायी गयी, जिसमें अनुसंधान लंबित है । यह भी गलत वर्णित किया है कि अप्रार्थीगण ने राजस्व नक्शे में हुई गलत तरमीम को दुरूस्त करने हेतु कानूनी कार्यवाही कर दी तो प्रार्थी अप्रार्थीगण की कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से गुण्डे लेकर आया हो, जब प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर अरसा दराज से ही काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तो उसके द्वारा कब्जा किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनके द्वारा प्रथम तो प्रार्थी के साथ मारपीट की गयी तथा पुलिस थाना बस्सी से मिलीभगत कर प्राथी को ही थाने में बन्द करवा दिया जिससे पूर्णतया सिद्ध है कि येनकेन प्रकारेण अप्रार्थीगण प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 पर कब्जा करना चाहते हैं जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

अपार्थीगण द्वारा यह गलत वर्णित किया है कि उक्त खसरा नम्बर के मूल खसरा नम्बर का पक्षकारान के मध्य विभाजन हुआ तथा यह भी गलत वर्णित किया है कि उस समय राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 87 वाली जगह अपार्थीगण के हिस्से में आयी हो एवं खसरा नम्बर 85 वाली जगह प्रार्थी के हिस्से में आयी हो तथा यह भी गलत वर्णित किया है कि आपसी सहमति से हए विभाजन में भी यही स्थिति रही हो, जबकि सही तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण व उनके पिता पूर्व से ही प्रभावशाली रहे हैं व बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति थे, जबकि प्रार्थी के पिता अनपढ थे तथा उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी तथा अप्रार्थीगण के पिता ने अन्य खातेदारों से आपस में साज कर प्रार्थी के पिता के अनपढ होने एवं उनकी मानसिक स्थिति खराब होने का फायदा उठाते हुए खाली कागजों पर अंगूठा निशानी लगवा कर उस पर प्रार्थना पत्र व विभाजन पत्र तैयार कर लिया तथा उसके आधार पर तहसीलदार महोदय से विभाजन आदेश दिनांक 08.06.1992 पारित करवा लिया, जबकि प्रार्थी के पिता द्वारा कभी भी बंटवारे हेतु कोई स्वतन्त्र सहमति नहीं दी गयी है, ना ही कथित सहमति के आधार पर कभी मौके पर कोई बंटवारा हुआ, बल्कि आज भी कथित सहमति दिनांक 08.06.1992 से पूर्व की स्थिति के अनुसार ही प्रार्थी एव अप्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं, यदि वास्तव में बंटवारा हुआ होता तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त बंटवारे के के अनुसार मौके पर काबिज होते जबकि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण दिनांक 08.06. 1992 से पूर्व की स्थिति के अनुसार ही मौके पर काबिज है तथा राजस्व कर्मचारियो द्वारा पक्षकारो के मौके पर काबिज होने के आधार पर ही नक्शे में तरमीम की गई है। अप्रार्थीगण द्वारा यह गलत वर्णित किया गया है कि राजस्व कर्मचारियो ने हाल राजस्व नक्शा तैयार करते समय खसरा नम्बर 85 के स्थान पर खसरा नम्बर 87 एंव खसरा नम्बर 87 के स्थान पर खसरा नम्बर 85 अंकित कर दिया हो जबकि सही तथ्य यह कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौके पर पक्षकारो के कब्जे के अनुसार ही तरमीम की गई है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी राजनैतिक पहुँच का फायदा उठाकर न्यायालय से दुरूस्ती के संबंध में आदेश प्राप्त किये गये है व न्यायालय द्वारा पारित आदेश को प्रार्थी द्वारा सक्षम अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है तथा जब अपीलीय न्यायालय द्वारा मूल तथाकथित बंटवारेनामे की क्रियान्विति को ही स्थगित किया जा चुका है तो

30/5/25

दुरुस्ती का आदेश कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखता है। यह गलत वर्णित किया है कि प्रार्थी ने दुरुस्ती की कार्यवाही को छिपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, प्रार्थी द्वारा तहसीलदार के आदेश से अपने स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 का सीमाज्ञान करवाया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने पर अपने विधिक अधिकारो की रक्षा करते हुए प्रार्थी सही व सत्य तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी अप्रार्थीगण को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकारी है।

अप्रार्थीगण द्वारा यह गलत वर्णित किया है कि प्रार्थी दावा दायरी के समय के राजस्व नक्शे के अनुसार अप्रार्थीगण को उनके स्वामित्व की भूमि के सम्बन्ध में कोई अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा सभी एवं सत्य तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रिकार्ड अपने कब्जे के साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत किये गये यदि दावा दायरी के पश्चात किसी अन्य कार्यवाही में न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किये गये हैं तो उक्त आदेश का प्रार्थी पर कोई प्रभाव नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश को अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौति दी जा चुकी है तथा न्यायालय द्वारा दुरुस्ती का आदेश बिना किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट मंगवाये केवल मात्र अप्रार्थीगण के प्रभाव में पारित किया गया है तथा जब प्रार्थी द्वारा मूल तथाकथित बंटवारेनामें को ही चुनौती दी जा चुकी है तो दुरुस्ती के आदेश कानूनन कोई प्रभाव नहीं रखता है। यह भी गलत वर्णित किया है कि प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आया हो तथा यह भी गलत वर्णित किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं हो, राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान भी करवाया गया है व प्रार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की कृषि भूमि के चारों तरफ तार बाउण्ड्री कर कृषि कार्य किया जा रहा है तथा प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि पर अरसे दराज से काबिज काश्त है। ऐसी स्थिति में यदि माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी तथा अप्रार्थीगण अपने धन बल व बाहुबल तथा राजनैतिक पहुंच के आधार पर प्रार्थी को उसके स्वामित्व की कृषि भूमि से बेदखल कर कब्जा कर लेंगे, जिससे प्रार्थी का दावा दायरी का मकसद ही समाप्त हो जायेगा, इसलिये ताफैसला दावा अप्राथीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अप्रार्थीगण द्वारा यह गलत वर्णित किया है कि प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित नहीं होता हो तथा यह कहना भी गलत है कि प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का स्वामी ना हो तथा यह कहना भी गलत है कि प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन ना हो बल्कि सही तथ्य यह है कि प्रार्थी विवादित कृषि भूमि का काबिज खातेदार है जो कि अरसा दराज से उक्त भूमि पर कषि कार्य करता आ रहा है तथा प्रार्थी द्वारा अपनी कषि भूमि का सीमाज्ञान करवा कर तार बाउण्डी कर रखी है तथा प्रार्थी मौके पर काबिज है, इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, जहां तक प्रार्थी द्वारा तथ्य छिपाये जाने का प्रश्न है तो मिन जवाबदाता

30/5/25

द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है, बल्कि सही तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का जवाब उल जवाब रिकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान् की बहस अन्तिम सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा व जवाब उल जवाब में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तथा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के तर्को का पुरजौर विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तीन प्रमुख घटक 1-प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, 2-तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एंव 3-अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर विवेचन, विश्लेषण किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

**प्रथम दृष्ट्या प्रकरण-** प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नया 96 पुराना 102 में खसरा नम्बर 87 रकबा 0.1400 हैक्टेयर ग्राम गोठड़ा, पटवार हल्का हंसमहल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जटवाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिस पर प्रार्थी द्वारा तारबंदी कर कृषि कार्य किया जाता है तथा अपने पशु बांधे आते है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 का अवलोकन करने से साबित है कि खाता संख्या नया 96 पुराना 102 में खसरा नम्बर 87 रकबा 0.1400 हैक्टेयर की खातेदारी प्रार्थी रामजीवन पुत्र कल्याण हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का एकल खातेदार काश्तकार व मौके पर काबिज काश्तकार होना प्रमाणित है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त तथ्यो व राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित है।

**तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति-** प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है तथा उन्होंने एक अवैध गिरोह का निर्माण कर रखा है तथा वे आये दिन प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि में दखलअंदाजी करते रहते है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 से प्रार्थी को बेदखल कर उस पर कब्जा करना चाहते है। जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 87 में दखलअंदाजी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक

30/5/25

24.04.2022 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी के स्वामित्व की उपरोक्त कृषि भूमि पर आये तथा प्रार्थी की तारबंदी को उखाड़ कर प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जिसका विरोध प्रार्थी द्वारा किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये तथा प्रार्थी के साथ धक्का.मुक्की कर कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जिसके संबंध में उक्त दिनांक को ही प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना बस्सी में अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 24.04.2022 को समय लगभग 12:30 ए.एम पर अप्रार्थीगण अपने साथ 35-40 व्यक्तियों को लेकर लाठी, डण्डा तथा सरियों से लेस होकर प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने के आशय से आये तथा आते ही प्रार्थी की तारबंदी को उखाड कर फैंकने लगे, जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण व उनके साथ आये व्यक्तियों द्वारा कारित कृत्य का विरोध किया तो प्रार्थी को जान से मारने के आशय से प्रार्थी के गले पर धारदार हथियार से वार किया तो प्रार्थी ने बचाव में अपना हाथ आगे कर दिया जिससे प्रार्थी के हाथ पर गंभीर चोटे कारित हुई तथा प्राथी द्वारा शोर करने पर आस-पास के ग्रामीण मौके पर आये तो अपार्थीगण व उनके साथ कब्जा करने के आशय से आये हुए बदमाश मौके से भाग गये जिस पर प्रार्थी द्वारा 100 नम्बर पर फोन कर पुलिस को बुलाया गया तथा पुलिस द्वारा उक्त समय ही घटना स्थल पर मौका मुआयना किया गया। तत्पश्चात लगभग 01 घण्टे के पश्चात् पुनः अप्रार्थीगण व उनके परिवार की औरते तथा बच्चे प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि पर कब्जा करने की नियत से आये तथा प्रार्थी की तारबंदी को उखाड़ कर प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जिसका विरोध प्रार्थी के पुत्र द्वारा किया गया तो उन्होनें प्रार्थी के पुत्र के साथ भी मारपीट की, जिसके संबंध में भी प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना बस्सी में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। अप्रार्थीगण संख्या में अधिक है तथा उनके द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर कब्जा करने की पूरजोर कोशिश की जा रही है व कब्जा करने की नियत से उनके द्वारा गुण्डे बुलवाकर प्रार्थी को मारने की कोशिश भी की जा चुकी है तथा उन्होंने एक अवैध गिरोह का निर्माण कर रखा है तथा वे कभी भी मौका पाकर प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र की मद संख्या-03 में किया गया है, पर कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर सकते है। जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी विवादित भूमि पर कृषि काश्त कर प्रार्थी अपना जीवनयापन करता है तथा अप्रार्थीगण बिना किसी अधिकारिता के प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर कब्जा करने एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू है। जिसका कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि से वंचित हो जावेगा तथा अप्रार्थीगण अपने कुत्सित उद्देश्यों में सफल हो जावेगे जिससे प्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति कारित होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही होगी। जिस कारण से अप्रार्थी संख्या-01 ता 04 को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आधार पर तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सावित है। चूँकि अप्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार

30/5/25

काश्तकार नहीं है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को वांछित अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने पर उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा होना सम्भावित नहीं है तथा अप्रार्थीगण को पावन्द नहीं किये जाने पर प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना सम्भावित है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तीनो प्रमुख घटक विन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा एंव जवाव उल जवाव तथा अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित शेष तथ्य मूल वाद में तनकीयात कायम की जाकर सक्षम साक्ष्य सबूतो के आधार पर विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वावत् अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक वांछित अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में पारित अन्तरिम व्यादेश दिनांक 23.06.2022 को कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे दौराने दावा प्रार्थी के स्वामित्व की कृषि भूमि खरारा नम्बर 87 रकवा 0.1400 हैक्टेयर के किसी भी भूभाग पर ना तो कब्जा करे ना किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य करे ना प्रार्थी को वेदखल करे ना ही प्रार्थी की कृषि भूमि पर मौजूद तारबंदी को उखाडे, तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेण्ट, सर्वेण्ट इत्यादि के माध्यम से करावें तथा मौका की यथास्थिति बनायी रखे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

30/5/25

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर